


कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद, श्रीगंगानगर

क्रमांक:- एफ/स्टोर/2016-17/ 3252-72

दिनांक:- 18/7/2016


नीलामी सूचना - 1

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के अनुपयोगी/नाकारा घोषित राजकीय वाहन जीप संख्या आरजे-14 सी 3687 दिनांक 22.08.2016 को सुबह 12.30 बजे श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा गठित कमेटी के समक्ष सार्वजनिक नीलामी की जावेगी। उक्त वाहन का अनुमानित क्रय मूल्य रु. 2.95 लाख है। उक्त वाहन इस कार्यालय के गैराज खड़ी है तथा जहां है जैसी हालत में है नीलाम किया जाना है। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 22.08.2016 को सुबह 12.15 बजे तक धरोहर राशि रु. 6000/- मात्र नकद इस कार्यालय में जमा करवा कर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता द्वारा स्वयं की पहचान के सत्यापन हेतु फोटो पहचान पत्र; पेन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत करें। अंतिम बोली छुटने पर विक्रय की सम्पूर्ण राशि उसी दिन कार्यालय में जमा करवांनी होगी। राज्य सरकार को देय बिक्र कर व वाहनों से सम्बन्धित अन्य कोई कर आदि का दायित्व बोलीदाता का होगा। शर्तें कार्यालय में कार्य दिवस को कार्यालय समय में देखी जा सकती है। नीलामी कमेटी को बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार होगा। उक्त नीलामी सूचना एसपीपीपी पोर्टल पर देखी जा सकती है। नीलामी उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, श्रीगंगानगर के कार्यालय में की जावेगी।


(डॉ. सतीश कुमार शर्मा)
उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जि.प., श्रीगंगानगर

अन्य शर्तें :-

- 1- नाकारा सामान जिस स्थिति में है उसी स्थिति में नीलाम किया जावेगा।
- 2- अधिकतम बोलीदाता को बोली छोड़ने के पश्चात पूर्ण भुगतान करना होगा पूर्ण भुगतान नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि जब्त कर राजकोष में जमा करवा दी जायेगी।
- 3- प्रत्येक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व निर्धारित समय तक धरोहर राशि रु. 6000/- (अखरे रुपये छः हजार मात्र) इस कार्यालय में जमा करवाने हागी।
- 4- बिक्र/अन्य देय कर पृथक से क्रेता को देना होगा।
- 5- नाकारा सामान को नीलामी के तुरन्त पश्चात नीलामी राशि एवं अन्य करों का भुगतान कर कार्यालय परिसर से उठाना होगा।
- 6- नीलामी के पश्चात नाकारा सामान की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं बोलीदाता की होगी।
- 7- नीलामी स्थगित करने/ अधिकतम बोली छोड़ने अथवा नहीं छोड़ने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।


(डॉ. सतीश कुमार शर्मा)
उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जि.प., श्रीगंगानगर